न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस..

प्रा0पत्र संख्या– 268 / 2023
GCMS No.2023/555

पूर्णमल पुत्र अनीराम उम्र .... वर्ष जाति मेघवाल निवासी झुझारपुर, तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं (हाल जिला नीमकाथाना) (राज0)

.... प्रार्थी

ब–ना–म

1. घीसाराम पुत्र प्रहलाद
2. शेर सिंह पुत्र प्रहलाद
3. प्रेम पुत्री प्रहलाद
4. रेशम पुत्री प्रहलाद
5. बुगला पुत्री प्रहलाद
6. दाताराम पुत्र दानाराम
7. छोटी पुत्री नाथा
8. भाती पुत्र नाथा
9. माड़ी पुत्री नाथा
10. मगतु पुत्र नाथा
11. महावीर पुत्र नाथा
12. सुन्दर पत्नी नाथा
13. भागाराम पुत्र बल्ला
14. सुरेश पुत्र बल्ला
    1 लगायत 14 जाति मेघवाल निवासी झुझारपुर तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू (हाल नीमकाथाना) (राज0)
15. राजस्थान सरकार जरिये लै[illegible]तडी तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना (राज0)

.... अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:54:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 / 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी खसरा नंबर 106 ग्राम झुझारपुर

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री हेमराज सिंह :– प्रार्थी की ओर से
2. श्री शीशराम गुर्जर :– अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 14 की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 20–06–2024

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम झुझारपुर तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के हाल खाता संख्या नया 4 के खसरा नंबर 101 रकबा 0.12 है., ख.नं. 106 रकबा 1.24 है., ख.नं. 1296 / 108 रकबा 0.02 है., ख.नं. 160 रकबा 0.67 है., ख.नं. 161 रकबा 0.18 है., ख.नं. 1296 / 108 रकबा 0.02 है., ख.नं. 810 रकबा 1.42 है., ख.नं. 915 / 803 रकबा 0.40 है., ख.नं. 951 / 102 रकबा 0.05 है., ख.नं. 952 / 98 रकबा 0.02 है., ख.नं. 953 / 102 रकबा 0.04 है. कुल किता 10 कुल रकबा 4.16 है. भूमि में प्रार्थी हिस्सा 1 / 3 का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. पर निरन्त काबिज रहकर काश्त कर रहा है। ग्राम झुझारपुर तहसील खेतडी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के हाल खाता संख्या नया 80 के खसरा नंबर 103 रकबा 0.30 है., ख.नं. 1263 / 104 रकबा 0.40 है., ख.नं. 155 रकबा 0.18 है., ख.नं. 156 रकबा 0.11 है., ख.नं. 157 रकबा 0.17 है., ख.नं. 222 रकबा 0.35 है. कुल किता खसरा 6 कुल रकबा 1.51 है. भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 12 खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा निरन्तर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। ग्राम झुझारपुर तहसील खेतडी स्थित जमावन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के हाल खाता संख्या नया 81 के खसरा नंबर 102 रकवा 0.76 है., ख.नं. 158 रकबा 0.08 है., ख.नं. 159 रकबा 0.12 है., ख.नं 410 रकवा 0.18 है. भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 14 खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा निरन्तर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। खातेदार बरान्ती पत्नी प्रहलाद फोत हो चुकी है जिसके विधिक वारिशान अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 पहले से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 14 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 102 रकबा 0.76 है. प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. के दक्षिणी दिशा मे सीव जोड़ स्थित है तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 12 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 103 रकबा 0.30 है., ख.नं. 1263 / 104 [illegible] खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. के दक्षिणी दिशा मे सीव [illegible] है। प्रार्थी की भूमि हाल खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. की दक्षि[illegible] 14 के नाम से दर्ज भूमि खसरा नंबर 102 रकबा 0.7[illegible] लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 10[illegible] 1263 / 104 रकबा 0.40 है. के साथ लगती है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 14 प्रार्थी [illegible] खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. की दक्षिणी दिशा के साथ जोड़ [illegible] सीमाओं को तोड़ देते हैं तथा जब

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:54:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 14 को सीमा ठीक करने के लिए कहता है तो वह नहीं मानते और मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं। तहसीलदार, खेतडी के आदेश क्रमांक 474 दिनांक 27.4.2023 की पालना में पटवार मण्डल मानोता कलां प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. का सीमाज्ञान करवाने के लिए दिनांक 08.05.2023 को ग्राम झुझारपुर में मौके पर पहुंचे। उसके बाद पटवार मण्डल मानोता कलां ने कार्यालय भू.अ. झुन्झुनूं द्वारा जारी शीट के मुताबिक जरीब चलाकर खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. का सीमाज्ञान कराया और मौके पर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. की दक्षिणी सीमा पर सीमा चिन्ह कायम किये। प्रार्थी ने सीमाज्ञान के अनुसार उसी रोज अपने खेत खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. की उत्तरी सीमा को ठीक कर दिया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 14 उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे हैं तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 14 मौका देखकर प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. की दक्षिणी सीमा को तोड देते हैं एवं सीमा चिन्हों को नष्ट कर देते हैं जब प्रार्थी मना करता है तो वो मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं, इसलिए प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाके ग्राम झुझारपुर तहसील खेतडी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2076 लगायत 2079 के हाल खाता संख्या नया 4 के खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. की सर्वे रिपोर्ट से नपती करवाकर खसरा नंबर 106 रकबा 1.24 है. भूमि की दक्षिणी सीमा पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 14 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद इनकी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः जवाब अवसर प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 14 बन्द किया गया।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्य में नकल फर्द मौका दिनांक 08.05.2023, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या नया 4, 80 व 81 ग्राम झुझारपुर पेश की गई।

पत्रावली पेश हुई। विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस समाहत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या नया 4 में दर्ज कुल खसरा किता 10 कुल रकबा 4.16 है. के खातेदार प्रार्थी पूर्णमल पुत्र अनीराम हिस्सा 1/3, मन्जू देवी पुत्री अनीराम हिस्सा 1/3, सुशीला पुत्री अनीराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उ[illegible] ने बाहमी बंटवारा कर रखा है जिसमें प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से पर काबि[illegible]। अर्थात उक्त वादग्रस्त भूमि के बाहमी बंटवारे के अनुसार [illegible] प्रार्थी काबिज काश्त है तथा प्रार्थी ने दिनांक 08.05.20[illegible] [illegible] था जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, के अवलोकन से साबित [illegible] कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 106 रकबा 1.24 है0 का सीमाज्ञान विधिवत [illegible] करवाया है. उक्त सीमाज्ञान के आधार पर ही प्रार्थी पुनः वादग्रस्त भूमि की नपती कर पत्थरगढी करवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:54:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

चाहता है जो विधि सम्मत् हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता हैं।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम झुझारपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि ख.नं. 106 रकबा 1.24 है. का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 08.05.2023 के आधार पर सर्वेशीट से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः नपति करवाकर रू. 300/— की फीस पर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 20—06—2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.6.24.

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:54:39 IST
Reason: SelfAttested